रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 53] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 15, 1972/माघ 26, 1893
No. 53] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 15, 1972/MAGHA 26, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue and Insurance)

FOREIGN TRAVEL TAX

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February 1972

G.S.R. 76(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 46 of the Finance (No. 2) Act, 1971 (32 of 1971), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the categories of passengers specified in column (2) of the Schedule hereto annexed from the whole of the Foreign Travel Tax leviable under section 45(1) of the said Act, subject to the conditions stipulated in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule.

SCHEDULE

Sl No.	Category of passengers.	Conditions to be satisfied to be eligible for the exemption.
1	2	3
1	(1) Members of the diplomatic missions in India (excluding Nepalese mission) holding diplomatic status, and their families; officials of such diplomatic missions other than those hoding diplomatic status who are not nationals of or permanently resident in India and are employed in administrative or technical services of the mission and their families;	(a) Production of a certificate from an authorised officer of the diplomatic mission or the consular office concerned, or from a authorised dealer as defined in section 2(a) of the Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (7 of 1947), to the effect that the amount of fare paid in Indian currency has been drawn from an account which is exclusively fed by foreign exchange remittances received from abroad OR

1	2	3
	(ii) Carrier Consula Officers of Foreign Consulates in India (excluding Nepalese Consulat) and their families; employees of such Consulates who are not nationals of, or permanently resident, in India.	(b) Where a foreign Government has entered into a rupee payment agreement with the Government of India, production of a certificate from an authorised officer of the diplomatic mission or the consular office concerned, or from an authorised dealer as defined in section 2(ai) of the Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (7 of 1947), to the effect that the payment of the fare is made from an account fed by rupees from the rupee trade account of the foreign Government.
2	(i) Members of the Nepalese diplomatic mission in India holding diplomatic status and their families; officials of such mission other than those holding diplomatic status who are not nationals of, or permanently resident, in India are employed in administrative or technical services of the mission and their families.	In so far as the journey is between India and a place outside India other than Nepal, production of a certificate from an authorised dealer, as defined in section 2(ai) of the Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (7 of 1947), to the effect that the amount of fare paid in Indian currency has been drawn from an account which is exclusively fed by foreign exchange remittances from abroad
	(ii) Carrier Consular Officers of the Nepalese Consulate in India and their families; employees of such Consulate who are not nationals of, or permanently resident in, India and their families.	Do.

[No. 3/FTT/72 (F. No. 306/6/71-FTT/CX-9]

R K THAWANI
Under Sey.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

विदेश यात्रा कर

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1972

सा० का० नि० 76(अ०) : —वित्त (सं० 2) अधिनियम, 1971 (1971 का 32) की धारा 46 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट यात्रियों के प्रवर्ग को, उक्त अधिनियम की धारा 45 (1) के अधीन उद्ग्रहणीय विदेश यात्रा कर से एतद्द्वारा पूर्णतः छूट देती है जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में बताई गई शर्तों के अधीन होगी ।

अनुसूची

क्रम संख्या	यात्रियों के प्रवर्ग	छूट का पात्र होने के लिये पूरी की जाने वाली शर्तें
1	2	3
1(i)	भारत में राजनयिक मिशनों (नेपाली मिशन को छोड़ कर) के, राजनयिक हैसियत धारण करने वाले सदस्य और उनके कुटुम्ब ; ऐसे राजनयिक मिशनों के, राजनयिक हैसियत धारण करने वाले पदधारियों से भिन्न ऐसे पदधारी जो भारत के राष्ट्रिक नहीं हैं, या भारत में स्थायी रूप से निवासी नहीं हैं और जो मिशन की प्रशासनिक या तकनीकी सेवा में नियोजित हैं और उनके कुटुम्ब ।	(क) सम्पृक्त राजनयिक मिशन या कौंसलीय श्राफिस के किसी प्राधिकृत आफिसर से, या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (1947 का 7) की धारा 2 (कक) में यथा परिभाषित किसी प्राधिकृत व्यवहारी से इस प्रभाव का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना कि भारतीय करेंसी में संदत्त यात्री भाड़े की रकम उस लेखे से निकाली गई जिसमें अनन्यतः विदेश से प्राप्त विदेशी मुद्रा-प्रेषण जमा किये जाते हैं ।
		या
(ii)	भारत में विदेशी कौंसलों (नेपाली कौंसल को छोड़ कर) के वृत्तिक कौंसलीय आफ़िसर और उनके कुटुम्ब; ऐसे कौंसलों के कर्मचारी जो भारत के राष्ट्रिक नहीं हैं, या भारत में स्थायी रूप से निवासी नहीं हैं ।	(ख) जहां किसी विदेशी सरकार ने भारत सरकार के साथ कोई रुपया-संदाय-करार किया हो, वहां सम्पृक्त राजनयिक मिशन या कौंसलीय आफिस के किसी प्राधिकृत आफिसर से, या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (1947 का 7) की धारा 2 (कक) में यथा परिभाषित किसी प्राधिकृत व्यवहारी से इस प्रभाव का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना कि यात्री भाड़े का संदाय किसी ऐसे लेखे से किया जाता है जिसमें विदेशी सरकार के रुपया-व्यापार-लेख से रुपये जमा किये जाते है ।
2(i)	भारत में नेपाली राजनयिक मिशन के राजनयिक हैसियत धारण करने वाले सदस्य और उनके कुटुम्ब ; ऐसे मिशन के, राजनयिक हैसियत धारण करने वाले पदधारियों से भिन्न ऐसे पदधारी जो भारत के राष्ट्रिक नहीं हैं, या जो भारत	यदि यात्रा भारत और भारत से बाहर, नेपाल से भिन्न किसी स्थान के बीच की गई हो तो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (1947 का 7) की धारा 2 (कक) में यथापरिभाषित किसी प्राधिकृत व्यवहारी से इस प्रभाव का

1	2	3
	में स्थायी रूप से निवासी नहीं हैं और जो मिशन की प्रशासनिक या तकनीकी सेवा में नियोजित हैं और उनके कुटुम्ब ।	प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना कि भारतीय करेंसी में संदत्त यात्री भाड़े का रकम उस लेखे से निकाली गई जिसमें अनन्यतः विदेश से प्राप्त विदेशी-मुद्रा-प्रेषण जमा किये जाते हैं ।
(ii)	भारत में नेपाली कौंसल के वृत्तिक कौंसलीय आफिसर और उनके कुटुम्ब; ऐसे कौंसल के कर्मचारी जो भारत के राष्ट्रिक नहीं हैं, या भारत में स्थायी रूप से निवासी नहीं हैं और उनके कुटुम्ब ।	

[सं० 3/एफ टी टी/72/फा० सं० 306/6/71—एफ०टी०टी०/सी एक्स 9]

आर० के० थावानी, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972